रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 718] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1997/अग्रहायण 28, 1919
No. 718] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1997/AGRAHAYANA 28, 1919

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(पूंजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997

का. आ. 886(अ).—भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, मुम्बई द्वारा डिबेंचर के रूप में जारी किए जाने वाले 300 करोड़ रुपए (तीन सौ करोड़ रुपए मात्र) के कुल मूल्य के अप्रतिभूत मोचनीय बांड प्राधिकृत करती है जिनका विवरण इस प्रकार है—

(क) "मनी मल्टिप्लायर बांड" (डीप डिस्काउंट बांड के रूप में) जिनमें प्रत्येक का बट्टागत निर्गम मूल्य 3000 रु० तथा जिनका अंकित मूल्य इस प्रकार है—

(i) 4500 रु० प्रत्येक और 3 वर्ष तथा 7 माह के अंत में मोचनीय;
(ii) 6000 रु० प्रत्येक और 5 वर्ष तथा 8 माह के अंत में मोचनीय;
(iii) 12000 रु० प्रत्येक और 11 वर्ष के अंत में मोचनीय;
(iv) 24000 रु० प्रत्येक और 17 वर्ष के अंत में मोचनीय;
(v) 48000 रु० प्रत्येक और 22 वर्ष तथा 7 माह के अंत में मोचनीय;
(vi) 100000 रु० प्रत्येक और 28 वर्ष तथा 6 माह के अंत में मोचनीय;

(ख) नियमित आय बांड जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 5000 रु० है और जो 21 जनवरी, 2003 को मोचनीय हैं तथा जिन पर 2 जनवरी, 1998 से निम्नलिखित दर पर ब्याज दर देय होगी —

(i) 12% मासिक रूप से देय ;
(ii) 12.25% अर्धवार्षिक रूप से देय ;
(iii) 12.75% वार्षिक रूप से देय ;

(ग) कर-बचत बांड जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 5000 रु० है तथा जिन पर 22 जनवरी, 1998 से निम्नलिखित की दर पर ब्याज दर देय होगी —

(i) 12% वार्षिक रूप से देय तथा 21 जनवरी, 2003 को मोचनीय;
(ii) 12.50% वार्षिक रूप से देय तथा 21 जनवरी, 2005 को मोचनीय।

[फा. सं. 6/16/सी. एम./97]
यू. शरत चन्द्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Market Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1997

S.O. 886(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) the Central Government hereby authorises the Unsecured Redeemable Bonds in the nature of debentures described as—

(a) Money Multiplier Bonds (in the nature of Deep Discount Bonds) having a discounted issue price of Rs. 3000 crores each, and, having a face value of—

(i) Rs. 4500 each and redeemable at the end of 3 years and 7 months;

(ii) Rs. 6000 each and redeemable at the end of 5 years and 8 months;

(iii) Rs. 12000 each and redeemable at the end of 11 years;

(iv) Rs. 24000 each and redeemable at the end of 17 years;

(v) Rs. 48000 each and redeemable at the end of 22 years and 7 months;

(vi) Rs. 100000 each and redeemable at the end of 28 years and 6 months;

(b) Regular Income Bonds having a face value of Rs. 5000 each redeemable on the 21st January, 2003 and having an interest rate payable with effect from the 2nd January, 1998 at the rate of—

(i) 12% payable monthly;

(ii) 12.25% payble half yearly;

(iii) 12.75% payable yearly;

(c) Tax Saving Bonds having a face value of Rs. 5000 each and having an interest rate payable with effect from the 22nd January, 1998 at the rate of—

(i) 12% payable yearly and redeemable on the 21st January, 2003;

(ii) 12.50% payable yearly and redeemable on the 21st January, 2005;

of the aggregate value of Rs. 300 crores (rupees three hundred orores only) to be issued by the Industrial Credit and Investment Corporation of India, Mumbai, as security for the purposes of the said section.

[No. F. 6/16/CM/97]

U. SARAT CHANDRAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997